

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर
म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

- PBR/निगरानी/इंदौर/भू-राज/2017/4509
1. श्रीमती सजनबाई पति स्व. श्री भैरूलाल,
निवासी:- ग्राम रेवती, तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.)
 2. श्रीमती कमलाबाई पति नानूराम,
निवासी :- छोटी ग्वालटोली, इन्दौर (म.प्र.)
 3. श्रीमती शारदाबाई पति रामकरण,
निवासी:- ग्राम रेवती, तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.)
 4. श्री प्रहलाल पिता स्व. श्री भैरूलाल,
निवासी:- ग्राम रेवती, तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.)
 5. श्री अंतरसिंह पिता स्व. श्री भैरूलाल,
निवासी:- ग्राम रेवती, तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.)
 6. श्री बलराम पिता स्व. श्री भैरूलाल,
निवासी:- ग्राम रेवती, तहसील हातोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

(56)

श्री. विकास चव्हाण द्वारा आज दि. 15/11/17 को प्रस्तुत

विकास चव्हाण
15/11/17
अवर सहायक निगरानी अधिकारी

....प्रार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर इन्दौर,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-21/2016-17 में दिनांक 17/04/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

अविरत
अविरत.....2



10/11/17
15/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/17/4509

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

07-12-2017

आवेदकपक्ष की ओर से धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता
उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत
करने हेतु वापिस चाहा गया । आवेदक निवेदन स्वीकार
किया जाता है । प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने
हेतु वापिस किया जाता है ।




अध्यक्ष